पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय उत्तर प्रदेश ।

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–4(1) बी के अन्तर्गत 17 श्रेणियों की सूचनाओं को विभागीय बेबसाइट पर अपलोड किये जाने के सम्बन्ध में ।

बिन्दु संख्याः 1 संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य

उत्तर प्रदेश शासन के गृह विभाग के अधीन पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय कार्य करता है । पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा प्रदेश पुलिस के सीधी भर्ती के आरक्षी/उप निरीक्षक एवं पुलिस उपाधीक्षकों के आधारभूत प्रशिक्षण के साथ उत्तर प्रदेश कैडर में आने वाले नवनियुक्त आई0पी0एस0 अधिकारियों का राज्य की पुलिस कार्य प्रणाली से सम्बन्धित प्रशिक्षण कराया जाता है । परम्परागत पुलिसिंग को महत्व देने के साथ पुलिस कर्मियों के नालेज,साफ्ट स्किल एवं एटीट्यूट के सम्बन्ध में भी प्रशिक्षण में विशेष ध्यान दिया जा रहा है ।

उक्त के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण, अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण तथा प्रशिक्षण निदेशालय में नियुक्त अन्य उच्चाधिकारियों के पर्यवेक्षण में सेवारत पुलिस जनों में आरक्षी से मुख्य आरक्षी , मुख्य आरक्षी से उप निरीक्षक , उप निरीक्षक से निरीक्षक के पद पर पदोन्नति कोर्स के साथ समय–समय पर समसामयिक आवश्यकताओं के अनुसार इन्हें विशिष्ट कोर्स एवं नवीनीकरण कोर्स भी कराया जाता है ,प्रशिक्षण संचालन हेतु प्रदेश पुलिस में निम्नलिखित पुलिस संस्थान स्थापित हैं ।

कमांक	प्रशिक्षण संस्थान का नाम	प्रशिक्षण क्षमता
1	डा0 भीमराव अम्बेडकर उ0प्र0 पुलिस अकादमी मुरादाबाद	670
2	पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद	850
3	पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर	800
4	सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर	600
5	पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय मेरठ	800
6	पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय मुरादाबाद	700
7	पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय गोरखपुर	300
8	पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव	800
9	सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय मीरजापुर	300
10	पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय सुलतानपुर	600
11	पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय जालौन	600

उक्त के अतिरिक्त शासन स्तर से 31 आरटीसी (13 जनपदीय एवं 18 पीएसी आरटीसी) स्थापित है, जिनमे से प्रत्येक की प्रशिक्षण क्षमता 200 है । इन आरटीसी में आरक्षी स्तर के पुलिसकर्मियों का आधारभूत प्रशिक्षण आवश्यकतानुसार कराया जाता है ।

प्रदेश पुलिस की व्यावसायिक दक्षता बढ़ाने एवं समसामयिक आवश्यकताओं की पूर्ति एवं नई चुनौतियों से निपटने के दृष्टिगत प्रदेश के पुलिसकर्मियों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण संस्थानों में निम्न कोर्स भी चलाये जाते हैं:—

1— साइवर क्राइम/सीसीटीएनएस
2— नये अधिनियमों की जानकारी
3— लैंगिक संवेदीकरण
4— मानवाधिकार संरक्षण हेतु निर्देशों की जानकारी हेतु प्रशिक्षण
5— आधुनिक उपकरणों की जानकारी
6— इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस
7— मा0 उच्चतम न्यायालय एवं मा0 उच्च्च न्यायालय द्वारा पारित नवीनतम निर्णयों की जानकारी
8— दिव्यांगों /वरिष्ठ नागरिकों/महिलाओं /पीड़ित व्यक्तियों के साथ व्यवहार
9— वर्चुअल क्लासरूम की स्थापना

इसके अतिरिक्त अपर पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारी के पर्यवेक्षण में पाठ्यक्रम समिति का भी गठन किया गया है जिनके द्वारा विश्लेषण कर आवश्यकतानुसार पाठ्यक्रम में संशोधन किया जाता है । आधुनिक आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रम में संशोधन कर यह प्रयास किया जाता है कि सभी स्तर के पुलिस जनों में जनसेवक होने का एहसास बढ़ाया जाये ताकि वह सच्चे मन से जनता की सेवा कर सके तथा निर्भीक होकर अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही कर सके ।

उक्त 11 पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों में निम्नलिखित आधारभूत, पदोन्नति एवं सेवाकालीन कोर्स सम्पादित कराये जाते हैं:—

<u>आधारभूत कोर्स</u>

क्रमांक	कोर्स का नाम	प्रशिक्षण संस्थान	अवधि	
1	पुलिस उपाधीक्षक सीधी भर्ती	उ0प्र0 पुलिस अकादमी मुरादाबाद	12 माह	
2	कमाण्डेंट होमगार्ड	उ0प्र0 पुलिस अकादमी मुरादाबाद	09 माह	
3	सहायक अभियोजन अधिकारी	उ0प्र0 पुलिस अकादमी मुरादाबाद	03 माह	
4	उप निरीक्षक सीधी भर्ती	प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा आवंटित प्रशिक्षण संस्थान	12 माह	
5	प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती	प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा आवंटित प्रशिक्षण संस्थान	12 माह	
6	गोपनीय सहायक लिपिक	प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा आवंटित प्रशिक्षण संस्थान	06 माह	

Vijay 1.9.20

7	सहायक लिपिक	प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा आवंटित प्रशिक्षण संस्थान	06 माह
8	सहायक लेखा लिपिक	प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा आवंटित प्रशिक्षण संस्थान	06 माह
9	मु0आ0 कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड''ए''	प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा आवंटित प्रशिक्षण संस्थान	06 माह
10	आरक्षी ना0पु0 सीधी भर्ती	प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा आवंटित प्रशिक्षण संस्थान	06 माह
11	आरक्षी पीएसी सीधी भर्ती	प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा आवंटित प्रशिक्षण संस्थान	06 माह

पदोन्नति कोर्स

कमांक	कोर्स का नाम	प्रशिक्षण संस्थान	अवधि
1	दलनायक(निरीक्षक)स0पु0	प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा आवंटित प्रशिक्षण संस्थान	06 माह
2	एस0आई0ए0पी0/प्लाटून कमाण्डर	प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा आवंटित प्रशिक्षण संस्थान	03 माह
3	उप निरीक्षक ना0पु0 रैंकर/वरिष्ठता	प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा आवंटित प्रशिक्षण संस्थान	45 दिवस
4	मु0आ0 ना0पु0 आधारभूत	प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा आवंटित प्रशिक्षण संस्थान	60 दिवस
5	मु0आ0 स0पु0 /पीएसी आधारभूत	प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा आवंटित प्रशिक्षण संस्थान	03 माह

सेवाकालीन कोर्स

कमांक	कोर्स का नाम	प्रशिक्षण संस्थान	अवधि
1	दलनायक रिफ्रेसर	एपीटीसी सीतापुर	03 सप्ताह
2	उप निरीक्षक यातायात	एपीटीसी सीतापुर	02 माह
3	मु0आ0 यातायात	एपीटीसी सीतापुर	02 माह
4	आरक्षी यातायात	एपीटीसी सीतापुर	02 माह

5	शैडो	एपीटीसी सीतापुर	03 माह	
6	आरक्षी बिगुलर क्वालीफाइंग	एपीटीसी सीतापुर	06 माह	
7	पैडागाजी	प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा आवंटित प्रशिक्षण संस्थान	01 माह	
8	आई0टी0आई0	प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा आवंटित प्रशिक्षण संस्थान	02 माह	
9	पी0टी0आई0	प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा आवंटित प्रशिक्षण संस्थान	03 माह	

इसके अतिरिक्त राज्य पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की व्यावसायिक दक्षता की वृद्धि हेतु बी0पी0आर0 एण्ड डी0 एवं गृह मंत्रालय के अधीन उत्तर पूर्वीय पुलिस अकादमी, उमसाव, मेघालय, केन्द्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भोपाल, मध्य प्रदेश, लोकनायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराधशास्त्र एवं विधि विज्ञानसंस्थान, रोहिणी दिल्ली, केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान, गाजियाबाद, एस0वी0पी0 एन0पी0ए0 हैदराबाद, Central Detective Training Institute, Hyderabad, CBI Academy, Ghaziabad, NCRB New Delhi एवं National Intelligence Academy(NIA) New Delhi तथा एन0एस0जी0 प्रशिक्षण केन्द्र मानेसर हरियाणा आदि प्रशिक्षण केन्द्रों में आयोजित होने वाले विभिन्न कोर्सो हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को नामित कर प्रशिक्षण प्रदान कराया जाता है।

(2) प्रशिक्षण निदेशालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियॉ और कर्तव्यः–

पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय में कार्यो का संचालन अनुभागों में वितरित कर सम्पन्न किया जाता है, जिसका विवरण निम्नवत् हैः–

पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण

यह पुलिस प्रशिक्षण के प्रभारी अधिकारी हैं । प्रशिक्षण निदेशालय एवं उपरोक्त 11 प्रशिक्षण संस्थानों का प्रशासनिक नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण इनके द्वारा किया जाता है । इनके द्वारा महत्वपूर्ण प्रकरणों पर अन्तिम निर्णय लिया जाता है ।

अपर पुलिस महानिदेशक,प्रशिक्षण

पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण के निर्देशों के अनुरूप इनके द्वारा पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय एवं प्रशिक्षण संस्थानों को सौंपे गये कार्यो का पर्यवेक्षण किया जाता है ।

पुलिस उपमहानिरीक्षक,प्रशिक्षण

प्रशिक्षण निदेशालय के समस्त कार्यालय एवं अन्य कार्यों का पर्यवेक्षण इनके द्वारा किया जाता है ।

अनुभाग संख्याः 1

अनुभाग संख्या 1 के प्रभारी अधिकारी पुलिस उपमहानिरीक्षक /पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी हैं । इस अनुभाग में राजपत्रित अधिकारियों का अवकाश, राज्य सूचना आयोग को सूचनाएं उपलब्ध कराया जाना और पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय में नियुक्त कर्मियों के स्थापना सम्बन्धी कार्य , पेंशन सम्बन्धी कार्य , पत्रों के निर्गमन एवं प्राप्ति आदि का कार्य सम्पादित किया जाता है । उक्त के अतिरिक्त स्टेटमेंट निरीक्षण, प्रतिनियुक्ति, जेण्डर सैंसेटाइजेशन व किशोर न्याय सम्बन्धी कार्यों का सम्पादन किया जाता है।

<u>अनुभाग संख्या:2</u>

इस अनुभाग के प्रभारी पुलिस उपमहानिरीक्षक अथवा पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी हैं। इस अनुभाग में नवागन्तुक पुलिसजनों का आधारभूत प्रशिक्षण, सेवारत पुलिस जनों के पदोन्नति कोर्स के कार्यों का संचालन किया जाता है। इसके अतिरिक्त रिट याचिकाएं एवं मा0 न्यायालयों में योजित सभी प्रकार के प्रकरण, आधुनिकीकरण ,एवं स्थापना सम्बन्धी कार्य सम्पादित किया जाता है ।

<u>अनुभाग संख्या: 3</u>

इस अनुभाग के प्रभारी पुलिस उपमहानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी हैं । इस अनुभाग में लेखा सम्बन्धी कार्य, जिसमें प्रशिक्षण निदेशालय में नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन/भत्ते प्रशिक्षण संस्थान/आरटीसी को बजट का आवंटन, निदेशालय में सेवानिवृत्त कर्मियों के पेंशन, जीपीएफ, ग्रेच्युटी, सम्प्रेक्षा सम्बन्धी कार्य का सम्पादन किया जाता है । इसके अतिरिक्त निदेशालय स्तर पर परिवहन शाखा से सम्बन्धित कार्य का सम्पादन किया जाता है ।

(3)<u>विनिश्चय करने की प्रकिया में पालन की जाने वाली प्रकिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है :–</u>

पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के विनिश्चय करने की प्रकिया में अधोलिखित नियमावलियों का आवश्यकतानुसार पालन किया जाता है :–

1– उ0प्र0 उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली–2015
2– उ0प्र0 पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली–2015
3– उ0प्र0 प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली–2015
4– उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली–1991 यथा संशोधित ।
5– उ0प्र0 सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली–1956
6– उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–1999
7– उ0प्र0 पुलिस समूह "घ" कर्मचारी सेवा नियमावली–2009

<u>(4) अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मानदंड:–</u>

प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्थापित मानदंड निम्न हैं:–

1– उत्तर प्रदेश पुलिस के समस्त स्तर के अधिकारियों/कर्मचारियों के <u>आधारभूत/नवीनीकरण</u> /पदोन्नति एवं विशिष्ट कोर्सो के संचालन का प्रबंन्ध करना ।

2– प्रशिक्षण निदेशालय में नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण के आदेशानुसार निर्धारित दायित्वों के अनुसार राजकीय कर्तव्यों का निर्वहन किया जाता है ।

3– समसामयिक आवश्यकताओं के अनुरूप पुलिसजनों को प्रशिक्षित किये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र/आर0टी0सी0 की आवश्यकतानुसार स्थापना ।

4– लोक सेवा आयोग द्वारा कतिपय विभाग के चयनित राजपत्रित अधिकारियों(पी0पी0एस0,पी0सी0एस0, होमगार्डस, अभियोजन शाखा आदि) के प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित कराना ।

Vijay 1.9.20

5— उ0प्र0 पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा अन्तिम रूप से चयनित उ0नि0 / आरक्षियों / लिपिक / कम्प्यूटर आपरेटर व अन्य अराजपत्रित अधिकारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना ।

6— आरक्षी पीएसी /नागरिक पुलिस (पुरूष /महिला) के आधारभूत प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण केन्द्र का चयन करना ।

7— प्रशिक्षण हेतु अन्तः एवं बाह्य विषयों के प्रशिक्षकों यथा निरीक्षक / उ0नि0 को पैडागाजी कोर्स कराना तथा मुख्य आरक्षी /आरक्षी को कमशः आई0टी0आई0 / पीटी0आई0 कोर्स कराना।

8— प्रशिक्षण के पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों में आवंटित प्रशिक्षणार्थियों के अनुरूप अन्तः एवं बाह्य विषयों के प्रशिक्षकों को उपलब्ध कराना ।

9— प्रशिक्षण संस्थानों को आवश्यकतानुरूप सभी मदों में अनुदान उपलब्ध कराना ।

10— प्रशिक्षण संस्थानों में आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण संसाधन उपलब्ध कराना।

11— अधिक संख्या में प्रशिक्षणार्थी की उपलब्धता होने पर प्रदेश के बाहर संचालित केन्द्रीय पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षणार्थियों को भेजकर प्रशिक्षण सम्पन्न कराना एवं प्रशिक्षकों की व्यवस्था भी सुनिश्चित कराना ।

12— बीपीआर एण्ड डी नई दिल्ली के माध्यम से प्रदेश पुलिस के अधिकारियों / कर्मचारियों को राज्य के बाहर स्थापित सेना, केन्द्रीय पुलिस प्रशिक्षण संस्थानो एवं अन्य विशिष्ट प्रशिक्षण संस्थानों में सीटें आवंटित कराकर विशिष्ट प्रशिक्षण कराना ।

13— प्रशिक्षण कार्य हेतु शासन, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय , उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड से सम्पर्क कर आधारभूत / नवीनीकरण / पदोन्नति एवं विशिष्ट प्रशिक्षण कोर्सो के सम्बन्ध में यथा समय समुचित कार्यवाही कराना ।

14— सभी स्तर के पुलिसजनों के प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण पाठ्यकम एवं पठन सामग्री / पुस्तक की व्यवस्था कराना ।

(5) अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किये गये नियम,विनियम, अनुदेश,निर्देशिका और अभिलेख :—

पी0टी0सी0 मैनुअल

प्रशिक्षण नीति वर्ष—2013

आई0टी0आई0 के सम्बन्ध में निर्गत निर्देश —वर्ष—2016

पी0टी0आई0 के सम्बन्ध में निर्गत निर्देश — वर्ष—2016

उपर्युक्त अभिलेखों के आलोक में पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार दायित्वों का निर्धारण कर उ0प्र0 पुलिस के समस्त स्तर के अधिकारियों / कर्मचारियों के आधारभूत /नवीनीकरण / पदोन्नति एवं विशिष्ट कोर्सो का संचालन किया जाता हैं।

(6)ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं, प्रवर्गो का विवरणः—

प्रशिक्षण निदेशालय में प्रशिक्षणार्थियों के लिए प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु समय—समय पर संशोधित किये गये आधारभूत प्रशिक्षण निर्देशिका / पाठ्यकम उपलब्ध है, जिसके अनुसार प्रशिक्षण का कार्य सम्पादित किया जाता है । यह दस्तावेज आधारभूत कोर्स, पदोन्नति कोर्स एवं सेवाकालीन कोर्स के लिए है ।

आधारभूत प्रशिक्षण निर्देशिका एवं अन्य पाठ्यकमों के आधार पर चलाये जाने वाले कोर्सः—

1—आधारभूत कोर्स

1—पुलिस उपाधीक्षक सीधी भर्ती

2—कमाण्डेंट होमगार्ड

3—सहायक अभियोजन अधिकारी
4—उप निरीक्षक सीधी भर्ती
5—प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती
6—गोपनीय सहायक लिपिक
7—सहायक लिपिक
8—सहायक लेखा लिपिक
9—मु0आ0 कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड "ए"
10—आरक्षी ना0पु0 सीधी भर्ती
11—आरक्षी पीएसी सीधी भर्ती

2—पदोन्नति कोर्स
1—दलनायक(निरीक्षक) स0पु0
2—एस0आई0ए0पी0 / प्लाटून कमाण्डर
3—उप निरीक्षक ना0पु0 रैंकर / वरिष्ठता
4—मुख्य आरक्षी ना0पु0 आधारभूत
5—मु0आ0स0पु0 / पीएसी आधारभूत

3—सेवाकालीन कोर्स
1—दलनायक रिफ्रेसर
2—उप निरीक्षक यातायात
3—मु0आ0 यातायात
4—आरक्षी यातायात
5—शैडो
6—आरक्षी बिगुलर क्वालीफाइंग
7—पैडागाजी
8—आई0टी0आई0
9—पी0टी0आई0

(7) किसी व्यवस्था की विशिष्टियॉ , जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिये या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है:—

पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय सीधे मुख्यालय पुलिस महानिदेशक ,उत्तर प्रदेश के निर्देशों एवं आदेशों के अन्तर्गत कार्य करता है । प्रशिक्षण निदेशालय की कार्यप्रणाली में जनता के सदस्यों से परामर्श लेने की कोई व्यवस्था नही है।

(8) ऐसे बोर्डो ,परिषदों समितियों और अन्य निकायों के ,जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं,, जिनका उसके भागरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डो ,परिषदों समितियो और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुॅच होगी, विवरणः—

पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय सीधे मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देशों एवं आदेशों के अन्तर्गत कार्य करता है । निदेशालय के नीति निर्धारण के कार्यो में किसी बोर्ड ,परिषद, समिति या अन्य निकायों आदि की सहमति लेने की कोई व्यवस्था नही है।

(9) अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिकाः–

पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों में अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा उ0प्र0 शासन एवं पुलिस महानिदेशक,उत्तर प्रदेश तथा प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुरूप राजकीय कार्य का निर्वहन किया जाता है ।

(10)अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक , जिसके अन्तर्गत प्रतिकर की प्रणाली भी है, जो उसके विनियमों में यथा उपबंधित होः–

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत आदेशों के अनुपालन में कार्यवाही की जाती है ।

(11)सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किए गए संवितरणों पर रिपोर्टो की विशिष्टियां,उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजटः–

प्रशिक्षण निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ को प्रशिक्षण के लिए उ0प्र0 शासन द्वारा प्रावधानित बजट एवं उसके सापेक्ष विभिन्न संस्थानों /इकाईयों को आवंटित अनुदान एवं व्यय का विवरण Koshvani . up . nic . in के अनुदान संख्या–26 गृह (विभाग) पुलिसके अधीन लेखाशीर्षक 2055 –पुलिस आयोजनेत्तर 003–शिक्षा और प्रशिक्षण 04 –शिक्षा एवं प्रशिक्षण ''मुख्य'' (2055000030400–शिक्षा और प्रशिक्षण मुख्य) के अन्तर्गत कुल आवंटित धन को प्रशिक्षण इकाइयों द्वारा उनकी आवश्यकता के अनुसार वितरण कर व्यय किया जाता है ।

(12) सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के व्यौरे सम्मिलित हैं:–

प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उक्त प्रकार का कोई कार्यक्रम संचालित नही किया जाता है ।

(13) अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों ,अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियांः–

पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा कोई भी रियायतें, अनुज्ञापत्र या प्राधिकार पत्र निर्गत नही किया जाता है ।

(14)किसी इलेक्ट्रानिक रूप में सूचना के संबंध में व्यौरें , जो उसको उपलब्ध हों या उसके द्वारा धारित हों :–

इलेक्ट्रानिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा ई–मेल तथा फैक्स का आवश्यकतानुसार प्रयोग किया जाता है ।

(15) सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां, जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के , यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित है तो , कार्यकरण घंटे सम्मिलित हैं:–

प्रशिक्षण निदेशालय स्तर पर केवल विभागीय दैनिक कर्तव्यों से सम्बन्धित पुस्तकों का एक छोटा कक्ष पुस्तकालय के रूप में स्थापित है। पूरी तरह विभागीय अभिलेखों के संग्रह के कारण इसका उपयोग सार्वजनिक रूप से अनुमन्य नही है। सूचना के अधिकार के सम्बन्ध में जनसूचना अधिकारी नियुक्त हैं, जो नागरिकों की वॉछित सूचना को नियमानुसार पूरी तत्परता से उपलब्ध कराते हैं ।

1.9.20

(16)लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां:—

जनसूचना अधिकारी	नाम	पदनाम	मोबाइल नम्बर
अपीलीय अधिकारी	डा0 संजय एम0 तरडे	अपर पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण	9454400134
जनसूचना अधिकारी	श्री महेन्द्र यादव	पुलिस अधीक्षक, प्रशिक्षण	9454400242
सहायक जनसूचना अधिकारी	श्री अनुज कुमार चौधरी	पुलिस उपाधीक्षक,प्रशिक्षण	9999518778

17) <u>ऐसी अन्य सूचना , जो विहित की जाए,प्रकाशित करेगा और तत्पश्चात इन प्रकाशनों को प्रत्येक वर्ष में अद्यतन करेगा:—</u>

———

1.5.20

(सुजान वीर सिंह)
पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण
उ०प्र०, लखनऊ।